न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 138/17 निर्णय दिनांक 14-11-17

1. गोरधनराम पुत्र जोगाराम जाति नायक निवासी गांव अमरपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. रामी पत्नी
2. सत्तार खॉ पुत्र/पुत्रियॉ हुसैन खॉ जाति मुसलमान निवासी
3. कोजू खॉ मकड़ासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर
4. अजमत
5. कमो
6. जेती
7. रोशनी
8. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये पैरोकाराज।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 25—11—2016
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

2. अपील संख्या 199/17 निर्णय दिनांक

1. गोरधनराम पुत्र जोगाराम जाति नायक निवासी गॉ अमरपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्

बनाम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये पैरोकारराज।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29—05—1998
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अपील संख्या 138/17
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह दोनों अपीलें उपखण्ड अधिकारी पूगल के आदेश दिनांक 25–11–2016 व 29–05–1998 के विरूद्व, जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि का दोबारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णीत किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को इस एक ही कोमन निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है । इस निर्णय की एक एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 07–08–1981 को सक्षम अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 193 में 48 बीघा भूमि का टी.सी. आवंटन किया गया था। अपीलांट का लगातार कई वर्षो तक नवीनीकरण दर्ज होता रहा है। तत्पश्चात् अपीलांट का आवंटन सहालकार समिति की राय से पूर्ण जॉच के उपरान्त अपीलांट को 48 बीघा का पात्र मानते हुए कालान्तर में चक बन्दी होने के पश्चात् उक्त भूमि चक 3 डीजेएम व 9 डीजेएम में परिवर्तित होकर अदालत मातहत द्वारा 24 बीघा भूमि टी.सी. से पुख्ता कर दी गई व शेष 24 बीघा भूमि अराजीराज दर्ज कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–2016 के द्वारा उक्त शेष रही 24 बीघा भूमि का रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दिया गया। जबकि मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है। अदालत

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिनाा एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलांट ने आराजी जैर को काफी मेहनत करते काबिल काश्त बनाया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट के बालिग पुत्रों द्वारा शेष रही 24 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2011 में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा था। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पर कोई गौर किये बिना आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को कर दिया गया। जबकि उक्त आराजी के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि जब एक बार आराजी टी.सी. में आवंटन हो जाती है तो वह भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती। अपीलांट का वर्ष 1981 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा मौके की रिपोर्ट लिये बिना आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को किया गया है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट आराजी जैर से बेदखल करने पर अमादा है। जिससे अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 29—05—1998 से शेष 24 बीघा आराजी को अराजीराज दर्ज किया गया। इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। उक्त 24 बीघा भूमि के आवंटन का पात्र सर्वप्रथम अपीलांट है। अपीलांट को उक्त आदेश से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ना ही सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किया गया। अतः अपीलांट की अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपील संख्या 138/17 में बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पति/पिता को पूर्व में चक 2 बी.एम के मुरब्बा नम्बर 169/35 की 15 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि अन्य को आवंटन होने के कारण माननीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 22—11—06 की पालना में डबल आवंटन के प्रकरण में नियमानुसार निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट हुसैन खॉ अन्यत्र भूमि पाने का अधिकारी घोषित किया गया। चूंकि हुसैन खॉ फौत हो चुका है। अतः उक्त आदेश की पालना आवंटन सलाहकार समिति की राय से रेस्पोडेन्ट्स को पात्रता

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अनुसार चक 3 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 10/35 के किला नम्बर 1, 6 ता 9, 11 ता 20 की 15 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आराजी आवंटन दिनांक को निर्विवाद रूप से आराजीराज होने पर रेस्पोडेन्ट्स को आवंटन की गई है। आराजी जैर से अपीलांट को कोई लेना–देना नहीं है। क्योंकि उक्त आराजी पूर्व में ही अपीलांट को टी.सी में आवंटित 48 बीघा में से उसकी पात्रता अनुसार 24 बीघा टी.सी. से पुख्ता करते हुए अपीलांट को आवंटित की गई व शेष 24 बीघा भूमि को आराजीराज घोषित किया गया। अपीलांट का कथन कि उसके बालिग पुत्रों के द्वारा उक्त आराजी के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस दिन उक्त आराजी आराजीराज घोषित की गई थी, उसी दिन को अगर अपीलांट के बालिग पुत्र होते तो ही वे उक्त भूमि के आवंटन के अधिकारी थे। ना कि इनते वर्ष उपरान्त अर्थात 29–05–1998 के उपरान्त करीब 13 वर्ष बाद वे उक्त आराजी के आवंटन के पात्र होगें। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–2016 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन विधि अनुसार है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में अराजी जैर की समस्त राशि खजाना राज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में यह तथ्य सही है कि अपीलांट को वर्ष 1981 में खसरा नम्बर 193 में 48 बीघा भूमि टी.सी. का आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा टी.सी. से पुख्ता के समय अपीलांट को पात्रता अनुसार 24 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया व शेष 24 बीघा भूमि आराजीराज घोषित की गई। अपीलांट का कथन कि उसके बालिग पुत्रों के द्वारा वर्ष 2011 में उक्त आराजी के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि बरवक्त आराजी आराजीराज घोषित की गई थी, उसी दिन को अगर अपीलांट के बालिग पुत्र होते तो ही वे उक्त भूमि के आवंटन के अधिकारी थे।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपीलांट उक्त आराजी के आराजीराज घोषित किये जाने के करीब 13 वर्ष उपरान्त बालिग पुत्रों के आधार पर आवंटन हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह सिद्व है कि उसके पिता को 1998 में कब्जेशुदा 48 बीघा भूमि के टी.सी. को पुख्ता करने के आदेश के समय उसके कोई बालिग पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में शेष 24 बीघा भूमि जो कि अप्रार्थी को सक्षम न्यायालय द्वारा पात्र धोषित किया है, को आवंटन करते समय यह आक्षेप अनौचित्य पूर्ण है कि उक्त भूमि के आवंटन के समय उसका बालिग पुत्र की हैसियत से आवेदन पत्र जैरकार था एवं उस पर कोई निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं लिया।

जब प्रार्थी के पिता को तत्समय 1998 में टीसी से पुख्ता 24 बीघा भूमि का चक 3 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 10/34 व मुरब्बा नम्बर 10/35 आवंटन हो चुका था तो उसी समय शेष भूमि हेतु उसके बालिग पुत्र होते तो आवेदन किया जा सकता था। किन्तु प्रार्थी यह सिद्व करने में असमर्थ रहा है कि उसका बालिग पुत्र होने की हैसियत से तत्समय ही अधिकार सृजित हो चुका था।

समस्त बहस पत्रावली के मनन व विचार से यह तथ्य साबित प्रतीत नहीं होता है कि लिहाजा शेष भूमि को टी.सी. आवंटन को पुख्ता करने की दृष्टि से अंतहीन रूप से सुरक्षित रखने का कोई कानूनी औचित्य नहीं बनता। क्योंकि प्रार्थी बरवक्त उसके पिता को टी.सी. से पुख्ता आवंटन के समय कोई पात्रता नहीं रखता था। इसलिए उसका तर्क सारहीन है कि उसका टी.सी. से पुख्ता का आवेदन बालिग पुत्र की हैसियत से विचाराधीन था एवं उस पर अधिनस्थ न कोई निर्णय नहीं किया।

(2) अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जब आराजी जैर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 29—05—1998 के द्वारा अपीलांट को 48 बीघा भूमि में से 24 बीघा भूमि का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का पात्र मानते हुए शेष 24 बीघा भूमि आराजीराज घोषित की जा चुकी थी। ऐसीस्थिति में शेष रही आराजी 24 बीघा भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत आवंटन हेतु स्वतन्त्र थी व आराजी जैर से अपीलांट का कोई सरोकार होना शेष नहीं रहता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–2016 द्वारा आराजी जैर चक 3 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 10/35 के किला नम्बर 1, 6 ता 9, 11 ता 20 की 15 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया। उक्त आवंटन आराजी जैर के आराजीराज होने व माननीय यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 22–11–06 की पालना में डबल आवंटन के प्रकरण में नियमानुसार किया गया है। आवंटन दिनांक को आराजी जैर निर्विवाद रूप से रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने व आवंटन हेतु शुद्व रूप से उपलब्ध होने पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। अपीलांट अब उक्त अपीलों के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–2016 व 29–05–1998 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14-11-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर